प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 620/2003

श्री मुडडू वेंकटनारायन राव
मेमोरियल स्कूल सोसाईटी

बनाम

छ.ग.राज्य और अन्य

आदेश

दिनांक – 5/1/2004 को निर्णय हेतु नियत

माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायाधीश के अनुसार

याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/01/2023, जिसे निर्देश क्रमांक 176/2003/11/बी.ए., यू. रायपुर, दिनांक 20/01/2003 के तहत प्राप्त किया गया था, को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उक्त सोसाइटी, जो 'श्री मुडडू वेंकट नारायण राव मेमोरियल स्कूल सोसाइटी' के नाम से पंजीकृत है, का एक पदाधिकारी है। सोसाइटी का चुनाव दिनांक 05/01/2003 को आयोजित किया जाना था और इसी प्रयोजन हेतु दिनांक 03/11/2003 को एक बैठक आहूत की गई थी। अनुलग्नक-पी/8 इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज है। कथन है कि चुनाव दिनांक 05/01/2003 को अनुलग्नक-पी/9 के अनुसार सम्पन्न हुआ तथा पदाधिकारियों की सूची सचिव द्वारा अनुलग्नक-पी/10 के रूप में प्रस्तुत किया गया । अनुलग्नक-पी/11 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (जिसे संक्षिप्त में 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 27 के अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 15/01/2003 को जारी प्रमाणपत्र है। उत्तरवादी क्रमांक 4 से 11 ने दिनांक 17/01/2003 को अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक अपील दायर किया, जिसमें कहा गया कि फर्म एवं सोसाइटियों के रजिस्ट्रार अवकाश पर हैं और अब राज्य ही एकमात्र वैकल्पिक मंच है। उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 05/01/2003 को आयोजित सामान्य सभा में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। भारसाधक अधिकारी, जो कि एक मंत्री हैं, ने इस अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 17/01/2003 को ही एक आदेश पारित किया। जिसमें भारसाधक अधिकारी द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया गया था।

3. अधिनियम की धारा 32 जाँच-पड़ताल तथा विवादों के निपटारे से संबंधित है, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है:

> **"32. जाँच एवं विवादों का निपटारा-**
>
> (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से, या उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन पर

या वह स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे कि उसने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या वित्तीय स्थिति की जाँच कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निदर्शित किए गए प्रकार की जाँच –

(क) सोसाइटी के गवर्निंग-बॉडी के सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के आवेदन पर या उसकी अन्तराष्ट्रीय के समक्षान में एक ड्राफ्टपत्र के साथ की जाएगी, या

(ख) सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन पर की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को इस धारा के अधीन जाँच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् –

(क) सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में रखी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों तक उसकी अबाध पहुँच सर्व समयों पर रहेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या सम्पत्तियों का कब्जा रखता हो या उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो, उक्त पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ, नकदी या अन्य सम्पत्तियाँ, यदि वे सोसाइटी के प्रधान कार्यालय से संबंधित हों, तो उसके मुख्यालय पर किसी भी स्थान पर या यदि सोसाइटी की किसी शाखा से संबंधित हों तो उस नगर के, जिसमें कि उसकी शाखा स्थित हो, किसी स्थान पर या अपने स्वयं के कार्यालय में पेश करने के लिए समन कर सकेगा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि उसे सोसाइटी के कार्यकलापों में से किसी भी कार्यकलाप की जानकारी है, सोसाइटी के मुख्यालय पर के किसी भी स्थान पर या उसकी किसी शाखा में या अपने स्वयं के कार्यालय में अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा, और

(ग) (एक) वह, सोसाइटी के साधारण सभा के लिए सूचना की कार्यवाही विनिर्दिष्ट करने वाले किसी विनियम या उपविधि के होते हुए भी, सोसाइटी के अधिकारियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे सोसाइटी के प्रधान कार्यालय पर या सोसाइटी के मुख्यालय पर के किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सोसाइटी का साधारण सभा बुलाएँ या ऐसे मामलों का जिनका कि संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अवधारण करें और जहाँ सोसाइटी के अधिकारी ऐसा सभा से इंकार करें या बुलाने से चूक जाएँ वहाँ उसे वह सभा स्वयं बुलाने की शक्ति होगी।

(दो) उपखण्ड (1) के अधीन बुलाए गए किसी सभा को सोसाइटी के विनियमों या

उपविधियों के अधीन बुलाए गए साधारण सभा की समस्त शक्तियाँ होंगी और उसकी कार्यवाहियाँ ऐसी उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट होंगी।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई जाँच की जाए, तो रजिस्ट्रार जाँच का परिणाम सोसाइटी को संसूचित करेगा, और सोसाइटी को समुचित निर्देश जारी कर सकेगा, जो सभी संबंधित पक्षकारों पर आबंधकर होंगे।

4. उपरोक्त अधिनियम की धारा 40 अपील के प्राथमिकता से संबंधित है, जो निम्नानुसार उद्धृत है:

"40.अपील-

(1) रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील -

(क) यदि आदेश रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो, तो राज्य सरकार के समक्ष;

(ख) यदि आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पारित किया गया हो, तो रजिस्ट्रार के समक्ष और ऐसे रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर दायर की जाएगी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु यह कि अपीलीय प्राधिकारी इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अपीलार्थी उसे संतुष्ट कर दे कि ऐसी अवधि के भीतर अपील न कर पाने का उसका पर्याप्त कारण था।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वत् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत जांच एवं विवाद निपटारे हेतु, सोसायटी के प्रबंधक मंडल के बहुसंख्यक सदस्यों अथवा सोसायटी के कुल सदस्यों के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के आवेदन पर ही जांच आयोजित की जानी चाहिए। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 32(2) की यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। आवेदन न तो बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा समर्थित है और न ही प्रबंधक मंडल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि इसे अपील माना जाए तो राज्य सरकार के समक्ष अपील तभी की जा सकती है जब आदेश रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो। प्रस्तुत मामले में दिनांक 05.01.2003 का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा पारित नहीं किया गया था। अतः तर्क यह है कि भारसाधक अधिकारी अर्थात संबंधित मंत्री का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

6. प्रतिवादी क्रमांक 4 से 11 के पक्ष में उपस्थित विद्वत् अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने प्रतिपादित किया कि प्राथमिक तौर पर भारसाधक अधिकारी को अधिकारिता प्राप्त है। उन्होंने अधिनियम की धारा 3(ग) में परिभाषित 'रजिस्ट्रार ' शब्द का संदर्भ देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में राज्य सरकार ही वैकल्पिक प्राधिकरण थी।"

7. अधिनियम की धारा 3(ग) प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है :

> **"3. परिभाषाएँ~**
>
> (क) xxxx XXXX xxxx
>
> (ख) xxxx XXXX xxxx
>
> (ग) **"रजिस्ट्रार"** से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया सोसाइटी का रजिस्ट्रार, और उसके अधीन उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किए गए सोसाइटी के अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार उस दशा में आते हैं, जबकि वे रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर रहे हों, या रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्यों का या उनमें से किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहे हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत, जहाँ तक अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत जाँच एवं विवाद निपटारे का प्रश्न है, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि जाँच सोसाइटी के शासी निकाय के बहुसंख्यक सदस्यों अथवा सोसाइटी के कुल सदस्यों के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के आवेदन पर ही आयोजित की जानी चाहिए। वर्तमान आवेदन न तो बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा समर्थित है और न ही शासी निकाय के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा। सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या 35 है और आवेदन 11.66 अर्थात 12 सदस्यों द्वारा दायर किया जाना चाहिए था, जबकि इसे केवल 8 सदस्यों द्वारा ही दायर किया गया था। अतः, आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई थी। जहाँ तक भारसाधक अधिकारी अर्थात संबंधित मंत्री के समक्ष अपील दायर करने का प्रश्न है, वर्तमान मामले में दिनांक 05.01.2003 का आदेश स्वीकार्य रूप से सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया था और तब अपील रजिस्ट्रार के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी। यदि रजिस्ट्रार अवकाश पर थे, तो मामला अतिरिक्त रजिस्ट्रार या अन्य समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जहाँ अतिरिक्त अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो। धारा 3(ग) के अनुसार 'रजिस्ट्रार ' की परिभाषा में सोसाइटी का रजिस्ट्रार , अतिरिक्त रजिस्ट्रार , संयुक्त रजिस्ट्रार आदि सम्मिलित हैं। फलतः भारसाधक अधिकारी अर्थात संबंधित मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील पोषणीय नहीं थी और तद्नुसार पारित आदेश वैधानिक दृष्टि से चलने योग्य नहीं है ।

9. वर्तमान अवस्था में, प्रतिवादी क्रमांक 4 से 11 के विद्वत् अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि उक्त प्रतिवादियों को रजिस्ट्रार अथवा अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका/अपील दायर करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है।

10. इस प्रकार विचार करने के उपरांत, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई ऐसी अपील अथवा याचिका पंद्रह दिन की अवधि में प्रस्तुत की जाती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा उसका विधिक परीक्षण करते हुए, विधि सम्मत रीति से उसके तात्विक गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के प्रावधानों के अधीन, उक्त रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

Sd/-

फखरुद्दीन

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Yashpal Singh